

प्रधक

जिला शैक्षिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर।

संवाद में

प्रबन्धक,
एसआरपी प्राइवेट स्कूल
दिनारपुर-गगालहड़ी
सहारनपुर।

पत्राक /मास्ता/ ५८७३))

/2013-14/ दिनांक 11.7.13

दिविषय:- निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को धारा 16 के प्रयोगन के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपर्युक्त (4) के अंतर्गत एसआरपी प्राइवेट स्कूल विनारपुर-गगालहड़ी, सहारनपुर।

महोदय

अपने दिनांक 30.10.2012 के आवेदन और इस सम्बन्ध में पश्चात्यार्थी बालक/ विदेशी के प्रतिवाद में दसआरपी प्राइवेट स्कूल दिनारपुर-गगालहड़ी, सहारनपुर को विवाक 29.06.2013 से दिनांक 26.06.2016 तक जो उद्दीप्ति के लिए कक्षा ८ से कक्षा ४ तक (उपर्युक्त मास्ता) के लिए अनन्तिम मास्ता प्रदान करने को निशुल्क एवं मुक्त विनारपुर-गगालहड़ी शहरी के पूरा किये जाने के अध्ययन है-

1. मास्ता की गजुरी विनारपुराय नहीं और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ४ के पश्चात नन्यता नाम्यता के लिए काहू वाद्यता विवरित नहीं है।
2. विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उपर्युक्त १ और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 उपर्युक्त २ के उपर्युक्त का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा १ में (या यथा विद्यालय नस्ती कक्षा) में उस कक्षा से बालकों की वापर्य १ तक २५ प्रतिशत तक आसा-पौड़ी के कमज़ोर बर्गों और सुक्षिका विहान सामूह के बालकों द्वारा प्रवेश प्रदान करना और उनके निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा से ज्ञान तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा ३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय नीं अधिनियम की धारा 12 की अनुसार २ के उपर्युक्त प्रतिपूरित किया जायेगा। पैसी प्रतिपूरित प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृष्ठा वर्त उपर्युक्त विद्यालय को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपर्युक्त करायेगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का साधारण नहीं करेगा और किसी बालक का बालक अनुसार अनुसार संरक्षक को किसी स्कूलिनग प्रक्रिया के अध्ययन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का संबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इच्छा नहीं करेगा। और वह अधिनियम की धारा 15 के उपर्युक्त का पालन करेगा। विद्यालय नियांसित सुनिश्चित करेगा।
 - (1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरा होने तक किसी भी कक्षा में फल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से नियांसित नहीं किया जायेगा।
 - (2) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अव्यवोन नहीं किया जायेगा।
 - (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से काहू वाहू परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन जापानिशित किये गये अनुसार अनुसार प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
- (5) अधिनियम के उपर्युक्त के अनुसार नियांसित विद्यालय का विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के प्रवेश दिये जाना।
- (6) अध्यापकों वीर्यां अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अर्द्धता के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्द्धता नहीं है धार्य क्षम के अवधि के भीतर वैसी न्यूनतम अर्द्धता अर्जित करेंगे।
- (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विर्भिदिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है। और (८) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकालापा में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समृद्धि प्राधिकारी द्वारा अधिकारित प्रात्यय सर्वों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सुनियमों को बनाए रखेगा। और नियांसित के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाये नियांसित करायेगा।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
कूल निर्मित क्षेत्र
कैम्पस स्थल का क्षेत्रफल

S. R. PUBLIC SCHOOL
Dinarpur-Gagaiheli (Saharanpur)



(2)

प्राचीन विद्यालय

संघरणक, सह कार्यालय, सह भण्डाराशार के लिए कक्ष
विद्यालय-बालिकाओं के लिए पृथक शौधालय

प्रेस्क्रिप्ट सुचिया

मिठ-दू-नीत प्राप्ति के लिए इसोइ

उच्च अद्वित पहुँच

जन्मायान पठान सामग्री / कीड़ा खेलकूद उपस्कर्णी / पुस्तकालय की उचलव्यता
विद्यालय के परिसरी भीतर या उसके बाहर विद्यालय के बाहर से कोई गैर मान्यता प्राप्त नहीं होती। उपस्कर्णी
विद्यालय में जो आन्य सरचनाओं या अन्य स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कार्यालय फ़िल्म आदि के लिए किया जायेगा।

शिक्षालय का सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी लोगों की प्राप्त का

उपस्कर्ण प्रदूत विद्या के अधीन मठित किसी लोक न्यास द्वारा बताया जा रहा है।
उपस्कर्ण प्रदूत विद्या के अधीन मठित किसी लोक न्यास द्वारा बताया जा रहा है।
स्कूल को किसी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह या समाज या किसी अन्य व्यक्तियों के साथ के लिए नहीं बताया जा रहा

है।
विद्यालय के लेखाओं की किसी व्याटेड एकाउटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा इमारत विद्या

जानक चाहिए तथा उद्यित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए - प्रत्येक लेखा विवरण की एक

प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजनी चाहिए।

4. आपके विद्यालय को आवित साम्यता कोड संख्याकृति 2013/2014 के लिए इसे नोट कर ले। और इस विद्यालय के

साथ किसी प्रत्येक के लिए इस संख्याकृति का अल्लेज करें।

5. विद्यालय इसी विभाग और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक नियम अनुसार द्वारा

अपेक्षित है। और सामुचित सरकार/स्थानीय ग्रामिकारी के प्रति अनुदेशों का अनुपालन करता है। जो साम्यता संख्याएँ

मात्रों के साथ अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की क्रमबोध को दूर करने के लिए जारी

किये जायें।

6. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, बढ़ि हो तो रुक्मिणीकृत किया जाये।

7. राजनीति उपायक के अनुसार अन्य कोई नहीं।

मठीय

12/7/13
(शेलेन्ड लिह)

जिला विभाग विद्या अधिकारी
सहारनपुर 12/7/13

/2013-14 / दिनांक दर्शवें:


स्ल०/मास्यता/ 4577-8/

तेलिपि - निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थी एवं सावधानक कार्यवाही हेतु प्रविष्ट-

1. सहायक शिक्षा निदेशक (बैरेसक), सहारनपुर भण्डल, सहारनपुर।
2. सम्बद्धित खण्ड, नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद - सहारनपुर।

S. R. PUBLIC SCHOOL

S. R. PUBLIC SCHOOL
Dinarpur-Gagalheri (Saharanpur)



जिला विभाग विद्या अधिकारी
सहारनपुर।

(14) मूल अधिनियम-2009 एवं अधिनियम-2012 की पारा-1(ए) के द्वारा किये गये संशोधन असहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे।

(15) प्रबन्धतया नियमित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधिकों के उल्लिखित प्राविधिक मामलों सीन वर्षों के लिए दी जायेगी। इस आधिकारिक मामलों के शर्तों में उल्लेखन से संबंधित यदि कोई प्रतिकूल विषय उल्लिखित नहीं होता है तो तीन वर्षों की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो गयी है।

उपर्युक्त उल्लेखनों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

भवानी
(राजीव भवानी)
प्राविधिक सचिव

राज्य पर्याय दिनांक तिर्थ


प्रतिलिपि नियन्त्रित यो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त नियायिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर शिक्षा निदेशक (प०), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. सचिव, वित्तीक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. समस्त नियायिक सहायक शिक्षा निदेशक(वित्तीक), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त तिला वित्तीक विद्या अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
8. गांडी फाउंडेशन।

मा।

अक्षय से,
(गगता श्रीवास्तव)
रामुक्त सचिव।

S. R. PUBLIC SCHOOL
Dinarpur-Gagaheri (Saharanpur)



(12)

प्रेषक:

मुमील कुमार
द्रमुख सचिव,
उम्रो शासन।

सेवा में

शिक्षा निदेशक (वैसिक)
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-8

लखनऊ दिनांक: 08 मई, 2013

तिथ्य: अशासकीय नरसी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें।

महोदय,

उपर्युक्त प्रियक शासनादेश संख्या-437 / 79-6-2011 दिनांक 19 मई, 2011 एवं आपके पत्र दिनांक 15-12-2012, दिनांक 12-02-2013 एवं दिनांक 30-04-2013 के संदर्भ में नुवा आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियुक्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं तदनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 में विहित प्राविधिकों तथा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित समय पर मा० उच्चतम् न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को इटिंगल रखते हुए सम्बन्धित विचारोपरान्त पूर्व में विद्यालयों की मालिका सम्बन्धी नियमों एवं विभागीय निर्देशों को अतिविभित करते हुए श्री राज्यपाल अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले अशासकीय नरसी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित मानकों एवं शर्तों के निर्धारण की सहज स्थिरता प्रदान करते हैं:-

(1) इस आदेश के निर्भीत होने के उपरान्त निर्धारित मानक एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही मान्यता प्रदान की जायेगी।

(2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा संशोधित मानक/शर्तों को उम्रो नियुक्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 लागू होने की तिथि से 03 वर्ष में 'अपने अधिक चारों से पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठायें अन्यथा सकान प्राविधिक द्वारा मान्यता प्रत्याहरित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। योग्यता उत्पादण के उपरान्त इस प्रकार का विद्यालय किसी भी दशामें संरक्षित रही किया जायेगा।

(3) विद्यालय में अग्नि बम्पर औ मानक जो अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।

30/1

३०१

३०१

(4) विद्यालयों में ज्यलनशील एवं जहरीले पदार्थ छात्र/अच्युपक की पहुँच से दूर सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाय तथा उसका प्रयोग प्रशिक्षित अच्युपकों/कर्मचारियों द्वारा ही किया जाय।

(5) विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा विद्यालय भवनों की मजबूती के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी/अभियन्ता से भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप होने का प्रमाण—पत्र प्राप्त किया जायेगा तथा समय—समय पर समीक्षा के अन्तर्भूत भी भवन की सुरक्षा का प्रमाण—पत्र प्रबन्धतंत्र को प्रस्तुत करना होगा। विद्यालय भवन की सुरक्षा एवं रख—रखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धतंत्र का होगा। नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप विद्यालय भवन की गुणवत्ता के संबंध में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग एवं आर.ई.एस. के जिस अधिकारी द्वारा निरीक्षा की जायेगा उनका विवरण निम्नवत् है :-

1. ग्राउंड फ्लोर पर निर्मित भवन—अधिकारी/अभियन्ता
2. एक से अधिक भवित्व के विद्यालय—सहायक अभियन्ता

निरीक्षणकर्ता अधिकारी को यह भी सुनिश्चित कराना होगा कि विद्यालय भवन की छत एवं दीवारों के निर्माण में पूर्ण मजबूती है और भवन में धूप व ठंड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। कक्ष—कक्ष हवादार एवं रोशनीयुक्त हैं।

एक मंजिल से अधिक छंडे भवन की सीढ़ियों जो निकास मार्ग के रूप में प्रयुक्त हो रही हों, नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में निर्धारित भवनकों के अनुसार बनायी गयी हो ताकि आकस्मिकता की स्थिति में बच्चों के निकास में किसी प्रकार की दाढ़ा उपचान न दें।

(6) विद्यालय के शिक्षकों/शिक्षणतंत्र कर्मियों को अग्निशमन, उपकरणों और सुरक्षा के उपायों के लिए जिला स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति/अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से निशुल्क प्रशिक्षित किया जाय ताकि आग लगने की स्थिति अथवा अन्य आकस्मिक आपदा की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित तरीके से बचाया जा सके।

(7) नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) की शिक्षा प्रदान करने वाले समस्त अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालय स्ववित्त पोषित होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संदर्भ में मानक एवं शर्तें :-

यदि विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य धातु शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के कान में निर्दित उम्प्र० निशुल्क और अनिवार्य धातु शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 लागू होने के पूर्व से संचालित है तो उसके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचना सम्बन्धित जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी को तीन माह के अन्दर प्रस्तुत की जायेगी तथा निम्नलिखित मानकों को पूरा करने की अनिवार्यता होगी :-

- (क) विद्यालय संचालित करने वाली संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एवं 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।
- (ख) विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसिएशन को लाभ पहुँचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।
- (ग) भारत के संविधान में प्राविधिकता संस्कृत एकता, राष्ट्रीय धर्म व सर्वधर्म सम्मान तथा मानवीय मूल्यों की संप्राप्ति के लिए प्राविधान समितियों तथा समय-समय पर निर्गत आलोन के आदर्शों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- (घ) विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए दिन और रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा, परन्तु विद्यालय की सुखा से सम्बन्धित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी।
- (ङ) विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनीतिक अथवा गैर शैशिक क्रिया-कलाओं के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा। विद्यालय भवन का बाह्य रंग सफेद होना चाहिए और अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
- (ज) विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकता।
- (ज्ञ) विद्यालय का खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिला अधिकारी द्वारा प्राप्ति की जायेगी।
- (ज) वेसिक शिक्षा विभाग के अजनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सम्बन्ध प्राचिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना मांगे जाने पर आवश्यक आव्याय एवं सूचनाये निर्देशनानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ज्ञ) ऐसे विद्यालय जो निर्धारित घोषणा पत्र के द्वारा यह सूचित करते हैं कि उनके द्वारा निर्धारित नामक/शिक्षा को पूर्ण कर लिया गया है, उन विद्यालयों का सम्बन्धित जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी कर दिया जायेगा। विद्यालयों में शिक्षा निदेशक (ब०) का आदेश प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।
- (ट) सम्बन्धित जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे विद्यालयों की सूची भी तैयार की जायेगी, जो बाच्चों को निर्धारित शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं। ऐसे विद्यालयों की कमियों के सम्बन्ध में सूचित किया जायेगा। तथा विद्यालयवार कमियों का दिवरण-विवरण पर भी प्रसारित किया जायेगा। कमियों का निराकरण विशारित अधिक में सम्बन्धित प्रबन्धतंत्र के द्वारा आवश्यक रूप से कर लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी यदि विद्यालय निर्धारित मानकों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो ३०प्र० निःशुल्क और अनियार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली लागू होने की तिथि से ०३ वर्ष के उपरान्त इस प्रकार के विद्यालयों के संचालन पर रोक लगायी जा सकती है, और ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई भी की जायेगी।

(3) मान्यता समिति :-

अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता हेतु मण्डल स्तर पर एक समिति गठित की जायेगी जो निम्नवत् होगी :-

- | | |
|---|------------|
| 1— सम्बन्धित सहायक विद्या निदेशक, (बैसिक) | अध्यक्ष |
| 2— सम्बन्धित जिला बैसिक विद्या अधिकारी | सदस्य सचिव |
| 3— जनपद का वरिष्ठतम् खण्ड शिक्षा अधिकारी | सदस्य |

जिला बैसिक विद्या अधिकारी द्वारा मान्यता हेतु विद्यालय से प्राप्त सूचना एवं स्थलीय निरीक्षण आख्या अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित समरत प्रपत्र मण्डल स्तर पर गठित मान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे तथा समिति के निर्यात के आधार पर सम्बन्धित जिला बैसिक विद्या अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रालय (संलग्नक-२) पर विद्यालय की मान्यता के सम्बन्ध में आदेश जारी किये जायेंगे।

(4) अंग्रेजी नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संसाधित मानक एवं शर्त:-

आवेदन की अर्हता

विद्या के क्षेत्र में लघि रखने वाले व्यक्तियों अथवा फिरी विधि मान्य प्रज्ञीकृत सोसाइटी/इन्स्टीट्यूट द्वारा निर्धारित विद्या स्तर के विद्यालय मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन कर सकते हैं :-

- (1) प्री-प्राइमरी एवं प्राइमरी स्तर (प्राइमरी स्तर के पूर्व की दो कक्षायें तथा कक्षा-१ से ५ तक की कक्षायें)।
- (2) प्राइमरी स्तर (कक्षा-१ से ५ तक)।
- (3) प्री-प्राइमरी, प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल स्तर (प्राइमरी स्तर से पूर्व की दो कक्षायें तथा कक्षा-१ से ६ तक की कक्षायें)।

(5) मान्यता हेतु आवेदन पत्र दिये जाने की प्रक्रिया :-

(1)—निर्धारित प्रालय पर आवेदन पत्र के साथ यथा निर्धारित शुल्क (बैक ड्रापट के लप में जो सम्बन्धित जिला बैसिक विद्या अधिकारी के पदनाम हो, जिसे सम्बन्धित जिला बैसिक विद्या अधिकारी द्वारा बैसिक विद्या विभाग के संगत लेखाशीर्षक में राजकोष में चालान द्वारा जमा किया जायेगा)।

निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप निशुल्क एवं अनिवार्य द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नीरात की जाने वाली नियमावली के साथ संलग्न प्रारूप (संलग्नक-1) प्राप्त किया जा सकता है।

उपर्युक्त प्रस्ताव-4 के बिन्दु (1) व (2) पर अंकित स्तरों की मान्यता हेतु आवेदन शुल्क ₹० 2000/- तथा क्रमांक-3 पर अंकित प्रस्ताव की मान्यता के लिए आवेदन शुल्क ₹० 3000/- सम्बन्धित जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से वैक ड्रापट द्वारा जमा किया जायेगा, जो उनके द्वारा संगत लेखाशीर्फ़ के जामा कराया जायेगा।

(2)- विद्यालय में सुचित कोष के रूप में ₹० 10000/- (₹० दस हजार मात्र) की एन०एस०सी जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से प्लेज़ होगी।

(3)- आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उनकी जांच/निरीक्षण की कार्यवाही की जायेगी तथा इस विषय से संबंधित विद्यालयों को भी सूचित किया जायेगा। निरीक्षण हेतु जो अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण करने जायेगा, वह यह सुनिश्चित करेगा कि निरीक्षण के समय ग्राम प्रवाना/पंचायत सदस्य/प्रतिनिधि उपरिथित हों, जिससे स्थानीय जनता को जानकारी हो सके कि विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण वार्ताव में किया गया है। निरीक्षण के समय मान्यता की शर्तों में जो कमियों पायी जायें, उन्हें जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धतांत्र को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा। विद्यालय की आपसियों सूचित करने के दिनांक के 02 माह के भीतर प्रबन्धाधिकरण को स्वप्रमाणित आपति निवारण आख्या (रीन प्रतियों में) सम्बन्धित जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी प्राप्त आख्या का परीक्षण कर अपनी आख्या/संस्कृति मान्यता समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

(6) वित्तीय शर्त

मान्यता की उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त एक मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन भी अनिवार्य होगा।

(क) विद्यालय का संदान ₹० 20,000/- मूल्य की धनराशि का होगा। वह संदान सम्पत्ति अथवा नकद रूप में रखी जा सकती है यथा :-

- (1) नकद धनराशि।
- (2) सरकारी जमानत।
- (3) अचल सम्पत्ति।

टिप्पणी :-

यदि संदान नकद धनराशि अथवा सरकारी जमानत के रूप में हो तो, जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम प्रतिमूर्त होना चाहिए। अचल सम्पत्ति

6

के विषय में प्रबन्धक अथवा अय किसी अधिकारी को जिसे संख्या की ओर से सम्पत्ति के देचने तथा तदर्थ विधि—पत्र (डीड) लिखने का अधिकार हो, जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी को अनुबन्ध पत्र लिखना आवश्यक होगा कि उक्त सम्पत्ति सकाम अधिकारियों को लिखित आज्ञा के दिन स्थानान्तरित नहीं की जायेगी अथवा किसी भी प्रकार प्रतिबन्धित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में एक शपथपत्र भी लिया जायेगा। अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन और उससे होने वाली आय का प्रमाण—पत्र किसी ऐसे राजस्व अधिकारी हांग प्रमाणित होना चाहिए जो तहसीलदार से कम स्तर का न हो। नगरपालिकाओं के फ़ीसर अथवा उप नगर अधिकारी का प्रमाण—पत्र स्वीकार किया जायेगा।

संस्थान हांग रु 5000/- की धूनारिया का एक स्थाई कोष बनाया जायेगा और उसे जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम प्रतिभूत कर दिया जायेगा। राज्य अथवा कोर्टीय सरकारी बोर्ड अथवा फौजी आईनेन्स फैक्टरियों हांग संचालित किसी भी संस्था को संदान और स्थाई कोष की शर्तों की पूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु ऐसी किसी संस्था को संचालित करने के लिए सकाम अधिकारियों की स्वीकृति का प्रस्ताव तथा आयतंक और अनावर्तक व्यय के लिए आवश्यक प्राविधिक होना चाहिए।

(7) मान्यता

आवश्यकता— (1) विद्यालय को मान्यता तभी प्रदान की जायेगी जब विद्यालय के कैम्पस एवं न्यूनतम छात्र संख्या उपलब्ध हो सके। न्यूनतम छात्र संख्या निम्नवत होना अपेक्षित है:—

(क) प्री—प्राइमरी तथा प्राइमरी	200 (07 कक्षाएं)
(ख) प्राइमरी	150 (05 कक्षाएं)
(ग) प्री—प्राइमरी, प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल	275 (10 कक्षाएं)
(घ) प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूल	225 (08 कक्षाएं)

प्रदेश के रीढ़िक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों एवं ग्रामीण अंचलों में विद्यालयों की न्यूनतम छात्र संख्या क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निश्चित की जायेगी।

अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों से यह अपेक्षित होगा कि एन०सी०इ०आर०टी०/एस०सी०इ०आर०टी० हांग निर्धारित अथवा बैसिक शिक्षा परिषद हांग अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार पठन—पाठन कराया जाय। मान्य पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की पुस्तक का पठन—पाठन न कराया जाय औं किसी विशेष प्रकाशन की स्टेशनरी का क्रय किये जाने हेतु छात्रों पर दबाव न बनाया जाय त ही अन्यान् पुस्तकाओं पर विद्यालय का नाम मुद्रित कराकर क्रय हेतु दबाव किया जाय, अन्यथा ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(6) भौतिक संसाधन

(1) भवन

(क) विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होने अथवा कम से कम 10 वर्ष तक किराये/लीज पर भवन उपलब्ध होने पर मान्यता के लिये विचार किया जा सकता है। किराये का भवन होने की स्थिति में किरायानामूँ पंगीकृत (रजिस्टर्ड) होना अनिवार्य है।

(ख) मान्यता के लिये प्राथमिक/जूनियर स्तर के प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए। प्रत्यनु कक्ष कक्ष का क्षेत्रफल 180 वर्ग फीट से कम नहीं होना चाहिए अर्थात् प्रत्येक कक्ष में कम से कम 20 वर्गफीट की बैठने की व्यवस्था अनिवार्य लप से होनी चाहिए, जिससे वच्चे कक्ष में शैक्षणिक, गतिविधियाँ सुविधापूर्ण ढंग से संचालित कर सकें। विद्यालय में 'उतने ही छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाय, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो। विद्यालय में प्रत्यक्षकालीय एवं वाचनालय भी होना चाहिए।

(ग) प्रधानाध्यापक, कार्यालय तथा स्टाफ के लिये अलग-अलग कक्ष उपलब्ध होना चाहिए।

(घ) छात्र/छात्राओं तथा अध्यापक/अध्याधिकारी के पृथक—पृथक मूलालय एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(ङ) विद्यालय में धीने के स्वच्छ (जीवाणु रहित) पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(ब) विद्यालय भवन का याहूर रग सफेद होना चाहिए और अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य लप से की जायेगी।

(2) क्रीड़ा स्थल

खेलकूद के लिये यथा सम्भव विद्यालय परिसर में या विद्यालय परिसर के समीप क्रीड़ा क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए जहाँ कबड्डी, शालीवॉल, बैडमिन्टन, बास्केट बॉल, खो-खो आदि जैसे खेलों हेतु निर्धारित स्थान की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिसका उपयोग विद्यालय के छात्र/छात्राएं कर सकते हैं।

विशेष—

गालिका विद्यालयों के लिए क्रीड़ा स्थल की छंट दी जा सकती है। इसी प्रकार घनी आवादी ग्राले नगर क्षेत्र में बालकों के विद्यालयों में जाहां स्थानाभाव हो, क्रीड़ा स्थल की छंट दी जा सकती है। क्रीड़ा स्थल के अभाव में किसी विद्यालय को गान्यता से यंचित नहीं किया जा सकता है।

(19)
(2)

8

(i) साज-सज्जा एवं उपकरण

विद्यालय में छात्र/छात्राओं के नामांकन तथा आयु के अनुसार बैठने के लिए उपयुक्त आकार की कुर्सी, स्टूल, बैंच, गेज़ तथा अध्यापकों के लिए कुर्सी भेज उपलब्ध होने चाहिए।

(ii) पुस्तकालय

प्राथमिक विद्यालयों कक्षा-5 के लिए छात्रोपयोगी विभिन्न विषय की कक्षा-5 तक की पुस्तकें तथा जूनियर रत्तर के विद्यालयों में कक्षा-8 तक की पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त, सामान्य ज्ञान, शिक्षाप्रद प्रस्ताकें तथा 'त्र-पत्रिकाओं की भी व्यवस्था जी जाँ सकती है।

(iii) विज्ञान शास्त्री

विद्यालय में नाइट्रोजनानुसार आवश्यक विज्ञान शास्त्री उपलब्ध होने चाहिए।

(iv) विज्ञान शास्त्री

प्राथमिक विद्यालय के लिए आवश्यकतानुसार विज्ञान शास्त्री उपलब्ध होने चाहिए।

(v) मानव संसाधन

उपलब्ध विज्ञान, रेखा शास्त्री

(vi) प्रौ-प्राइमरी से कक्षा-8 तक के विज्ञान के लिए 100% निःशुल्क और अनिवार्य गाल विज्ञान का अधिकार नियमावली-2011 की घास-6 के प्रस्ताव-15 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार अहंताधारी अध्यापक/अध्यापिका उपलब्ध होना आवश्यक है। यह भी ध्यान रखा जायेगा कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए कानून से कर्म प्रति कक्षा-कक्ष हेतु विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्यान भाषा से संबंधित विद्यालय उपलब्ध हों, इसके अतिरिक्त याज 'गोला, स्फुरण' एवं शारीरिक विज्ञान एवं कार्यानुभव विज्ञान हेतु भी एक-एक विद्यालय उपलब्ध होना चाहिए।

(vii) विद्यालय आवश्यकतानुसार विधिक एक वर्तुर्ध श्रेणी कन्वेंशन की विद्युक्ति का जाना आवश्यक है। चौर्जीधार, आगा एवं लकड़ी कर्मचारी की अंककालिक विद्युक्ति गान्य की जा सकती है। रेख रेणी विज्ञान, विद्यालय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की विद्युक्ति पूर्णकालिक होना आवश्यक है।

(viii) विद्यालय के कर्मचारियों के लिये प्रबन्धाधिकरण द्वारा सेवा नियमावली बनाकर प्रस्तुत भी जायेगी, जिसमें विद्युक्ति का प्रकार, परिवीक्षणकाल, व्याप्रदारण तथा दण्ड के सम्बन्ध में संवेदन एवं वित्ती सम्बन्ध प्रतिक्रिया न स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

सेवा नियमावली में अवकाश, पैशन, घेच्युटी, बीमा, पी०ए०० तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी धोकालालों का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

प्रबन्धाधिकरण के सामने अधिकारी एवं विद्यालय के सभी श्रेणी के कर्मचारियों (प्राथमिक अध्यापक, अध्यापक, शिक्षणेत्र कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी

(6)
(5)

कर्मचारी) के मध्य विशिष्ट भान्य सेवा अनुबंध निष्पादित किया जाएगा और जो सम्बन्धित जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्तार्कित करना होगा और उसी एवं प्रति सम्बन्धित जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी जारीतय में सुरक्षित रखी जायेगी।

शुल्क

गान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं महगाई शुल्क मिलायर उत्तरा गांधिजी शुल्क स्थीकार किया जाएगा एवं झेट्टारको/कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अंशात्मक यहन गरम यो लिए दर्शात है। इसके अल्पमिति विद्याय शुल्क तथा महगाई शुल्क से विद्यालय की वैसिक आय में से एवं भुगतान के प्रधान शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बदल न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जाएगी। शुल्क में जब वृद्धि की जाएगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित गांधी में शुल्क दिया जा सकता है :-

- 1- शिक्षण शुल्क, 2- महगाई शुल्क, 3- विद्यास शुल्क, 4- विजली पानी
पानी, 5- पुस्तकालय एवं वाचनालय, 6- विद्यान शुल्क, 7- अव्य शुल्क,
वैज्ञानिक शुल्क, 8- परीक्षा/मूल्यांकन, 10- विद्यालय सनारोड/उत्तराव, 11-
विद्यालय विद्यार्थी की शिक्षा- जम्यूटर / रासायनिक आदि।

प्रोटोकॉल

- 1- पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क तथा फैटीटेशन के लिए एवं गांधी फीस विद्यार्थियों से लेना विभिन्न होगा।
- 2- गान्यता प्राप्त विद्यालय 25 प्रतिशत अलापित मातृ व वरीब वच्चों को विशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, परन्तु यह प्रतिवर्त्य असहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होगा।
- 3- विद्यालय वच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वी धारा-19 एवं अनुसूची में विविह रूपर एवं गानवां वो स्थापित रखेगा।

(७) गांधी के सन् 2013-14 की गान्यता प्रदान करने के संबंध में सम्बन्धित विवरण

विद्यालय वो गान्यता प्रदान करने के लिए विद्यालय वी प्रबन्धक/सदानन्द विद्यार्थी द्वारा राजगम प्राप्त-1 के अनुसार रघुवीषणा-सटआवेदन पत्र जो सम्बन्धित जनपद के जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में पूर्व से लोटा है उन आवेदन पत्रों पर जनपद रूप से दिनांक 30 जून, 2013 तक प्राप्त गान्यता विवरक शर्तों के आधारों में गान्यता के संबंध में गान्यता समिति द्वारा निश्चय लिया जाएगा।

नोट:- विवर आवेदिता विद्यालयों द्वारा उक्त निवारिता गाइड लाइन्स का पालन करने किया हो, जिनके आवेदन पर आगामी शैक्षिक सत्रों की गान्यता हेतु

कामियों को पूरा किये जाने के उपरान्त मान्यता समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

1) शासक सत्र 2014-15 एवं आगामी शैक्षिक सत्रों के लिए गान्यता हेतु आवेदन करने और गान्यता प्रदान करने के सबन्ध में नए नियम सारिणी-

विद्यालय को गान्यता प्रदान करने के लिए विद्यालय के प्रबन्धक/राजस्व अधिकारी द्वारा संलग्न प्रालैन-1 के अनुसार रखाइया-सहायेदान पत्र राज्य-प्रति जनपद के डिला भौतिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में निम्न समग्र राजिणी में इंगित अद्यति में प्राप्त कराया जायेगा तथा नान्यता साक्षन्ती आवेदन

6. 1) नियमारण राज्य-सारिणी में इंगित विधियों के अनुसार किया जायेगा--

1. सम्बन्धित डिला भौतिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन एवं जम्हर करना।	01 जुलाई से 31 अगस्त
2. प्रदान हुए आवेदन पत्रों के द्वारा सार्व साधारण को जागकारी किया जाना।	सितंबर प्रशासन राज्यालय
3. आवेदन करने वाले विद्यार्थी का निरीक्षण	15 सितंबर से 31 अक्टूबर
4. सम्बन्धित डिला भौतिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संस्था को नवम्बर तक कोई/शते पूरी करने हेतु सुचित किया जाना।	नवम्बर दिसम्बर
5. आवेदन बताओं के प्रबलावदन खींचकर करना।	जनवरी-फरवरी
6. इन बैठकों शिक्षा अधिकारी अद्यता उसके द्वारा अद्यतिंत विज्ञापन से द्वारा विद्यार्थी का खलीय निरीक्षणोपरान्त आवेदन पर ही राज्यालय पर धन्काता समिति द्वारा निर्णय लेना।	गांव
7. डिला भौतिक शिक्षा अधिकारी द्वारा गान्यता आदेश जारी करना।	31 मई तक

नोट- मान्यता समिति जी बैठके बर्दे में दो बार नवम्बर एवं मार्च में आहुआ की दीपाली विशेषण मानकों को पूरा करने वाले विद्यालयों को 100% या 80% में आहुआ बैठक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेकर गान्यता तामेति द्वारा बादश विसरार में निर्णय किया जायेगा तथा निर्वाचित मानक एवं इतनी बड़ी बढ़ी करने के द्वारा विद्यालयों को कमियों द्वारा फराकर मार्च में आहुआ बैठक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेकर 31 मई तक गान्यता आदेश डिला भौतिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्णय किये जाएंगे।

(12) गुणात्मक आवेदन की प्रक्रिया :-

प्रवित्र सत्र 2014-15 से मान्यता हेतु आवेदन की प्रक्रिया अन लाईन द्वारा डिस्ट्रिक्ट सम्बन्धी रूप साइट का द्वारा तथा आवेदन प्रक्रिया के संग्रह में द्वारा निर्दिष्ट दृष्टि से निर्णय किये जायेंगे।

(13) विद्यालय की मान्यता का प्रत्याहरण :-

जहां डिला भौतिक शिक्षा अधिकारी संघ या भिसी घटकी रो प्राप्त दृष्टि के अद्यार पर अनिवार्यता कारणों से सहृद्द है कि गान्यता प्रदान


(३) सिल्सी विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया गया है अथवा अनुसूची में निर्धारित मानकों एवं स्तर को पूर्ण नहीं होने वाली है तो उसको द्वारा निम्नालिखित कार्रवाही की जायेगी:-

(४) विद्यालय की मान्यता की विज्ञ शर्तों का उल्लंघन किया गया है तो उसके द्वारा निम्नालिखित कार्रवाही की जायेगा।

(५) निर्धारित अवधि गे गति विद्यालय प्रबन्धसंचार से संगटीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा प्राप्त स्थानीकरण संतोषजनक नहीं होता है तो सम्बन्धित जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आगामी 15 दिन की अवधि में एक विस्तृतीय समिति जिताने वालीया प्रतिविधियों के साथ एक विभागीय समिति जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीकण कराया जायेगा। समिति विद्यालय की जाँच कर, विद्यालय की मान्यता जारी रखने या समाप्त करने की संस्थानी के साथ अपनी आवश्यक निरीकण तिथि के एक माह (०१) यो अवधि में सम्बन्धित जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करें। उपरोक्त समिति का गठन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं जिलाधिकारी को, भविति के सदृश्यों को परिवर्तित करने का अधिकार हासगा।

(६) सामग्री की आड़ण के आवार पर सम्बन्धित जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित विद्यालय को पत्र भेजकर उन्हें अपना स्थानीकरण देने हेतु 30 दिन का अवार पर देगा एवं प्राप्त स्थानीकरण का परीक्षण करके उथ्या संगटीकरण प्राप्त न होने की विस्तृत में आविषेष्यों के आवार पर सम्बन्धित जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी मान्यता प्रत्याहरण के सामान्य में 45 दिन के अन्दर मान्यता समिति द्वारा निर्णय प्राप्त कर लेंगे।

(७) मान्यता समिति के निर्णय प्राप्ति के 07 दिन के अन्दर विद्यालय को प्रदत्त मान्यता रद्द करने का गुरुरित आदेश (speaking order) जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। मान्यता रद्द होने का आदेश तत्काल अनुचरता शैक्षिक सर संलग्न होना चाहे उक्त आदेश में ही हउ पछोरी विद्यालयों में नाम भी दीप्ति दिये जायें जहाँ मान्यता प्रत्याहरित विद्यालयों के बच्चों की नामांकित कराया जायेगा। उक्त आदेश को सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को भी अनागत वर्ष जायेगा। इस सर्व साधारण की जानकारी हेतु स्थानीय एवं राज्य दैनिक समाचार पत्र में विद्यालय समिति की जायेगी जहाँ दो वेसा दू पर भी प्रकाशित किया जायेगा।


Manager
S. R. PUBLIC SCHOOL
Dinapur-Gagaiheri (Saharanpur)

